फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

संजय बनाम [illegible]

मुकदमा संख्या / वर्ष 11/2021 / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
8/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० पत्रावली ... वास्ते तलबी / जवाब कुर्रेजात रहेगा। दिनांक 11-4-22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर	
11-4-22	पत्रावली पेश हुई। P.O. श्री ... अन्य राजकार्य में व्यस्त। जनरल डेट दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 12/4/22 को पेश हो। [signature]	
12/4/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप० पत्रावली ... वास्ते तलबी / जवाब कुर्रेजात रहेगा। दिनांक 13/4/22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर	
13/04/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्राप्त आपत्तियों पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 22/04/2022 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर	
22/04/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्राप्त आपत्तियों पर वकील उभय पक्षों की बहस पूर्व में दिनांक 13/04/2022 को [signature] सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर	

फर्द अहकाम

न्यायालय — सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ

संजय कुमार — **बनाम** — परितोष वगै०

मुकदमा संख्या/वर्ष : 111/2021

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
		सुनी गई। वादी के अधिवक्ता श्री महेश कुमार शर्मा ने प्रस्तुत आपत्तियों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुऐ अपनी बहस में कहा कि उक्त विवादित भूमि ख0न0 60 के रकबा 2.2637 हैक्टेयर के राजस्व नक्शे की रकबा बरारी करने पर जानकारी हुई कि उक्त खसरा नम्बर के राजस्व नक्शे में रकबा 0.1200 हैक्टेयर भूमि की अधिक तरमीम हो रखी है। इसलिये प्रतिवादी सं0 1 व 2 पटवारी हल्का से प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट में हरे रंग के ख0न0 60 मिन 0.9795 हैक्टेयर शामिल रखते हुऐ एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई है जिससे वादी को क्षति कारित होगी। उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के राजस्व नक्शे की रकबा बरारी अनुसार नक्शे की माप कराकर फिर कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी। इसलिये पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जावे। वकील वादी ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि विवादित भूमि ख0न0 60 के लगता ख0न0 50/2 रकबा 0.5059 हैक्टेयर भूमि दोनों पक्षों की सहखातेदारी	

हस्ता/ स०क०

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय: सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ (जयपुर)

संजय कुमार **बनाम** परितोष वगै॰

मुकदमा संख्या / वर्ष: 111 / 2021

क्र.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		भूमि रही है। जिसके वर्तमान राजस्व नक्शे को गत नक्शे व मौके के विपरीत तरमीम कर दिया गया। जिसके विरुद्ध मुकेशनुसार पुनः नक्शा दुरुस्तीकरण हेतु अपील सं. 54/2014 संजय कुमार बनाम परितोष वगैरह न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के यहां विचाराधीन है ख॰नं॰ 812 की भूमि के कुछ भाग को ख॰नं॰ 80 में शामिल करते हुए त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया। नक्शों में दुरुस्ती होने के बाद कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये। पटवारी हल्का ने वादीगण के गैर मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई है न्यायालय के निर्देशानुसार उभय पक्षों की मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट बनानी थी लेकिन तहसीलदार जमवारामगढ़ ने वादीगण की अनुपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट बनाकर पेश की। इसलिये आपत्तियां स्वीकार कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जावे। प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने जवाब आपत्ति के कथनों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथित किया कि आपत्तियों के सभी मदों को अस्वीकार किया है। जो कुर्रेजात रिपोर्ट पर	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

क्र.स.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		मिजवाई है वह मौके पर पुख्ता काबिज अनुसार कुदैजात कराई है। पुनः रिपोर्ट मंगवाने का कोई औचित्य नहीं हो एवं विवादित भूमि ख०नं. 60 रकबा 2.2037 हैक्टेयर भूमि का राजस्व नक्शा अधिक तरमीम का नहीं है और ना ही ख०नं० 60 के नक्शे की नक्शा तरमीम त्रुटिपूर्ण हो। मद सं०3 में जिस प्रकार से वर्णित किया है स्वीकार है ख०नं० 5012 रकबा 0.5055 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में बटवारा का कोई वाद नहीं होने से उक्त तथ्यो की आपत्ति लिये जाने का कोई औचित्य नहीं हो। मद सं०4 में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए अपनी बहस में कहा कि ख०नं० 59 गै०मु० पहाड़ के सम्बन्ध में भी उक्त वाद नहीं है तथा ख०नं० 59 अन्य पक्षों की सीमा मेड़ से लगता हुआ है ऐसी स्थिति में वादीगण को उक्त खसरा नम्बर में आने की पूर्ण सुगमता है। वाद बटवारा का वादी ने प्रस्तुत किया है हम बटवारा कराने को सहमत है अगर पटवारी हल्का द्वारा कुदैजात रिपोर्ट सीमाज्ञान से बनाई गई पर आपत्ति करने का वादी को कोई अधिकार नहीं हो मौके पर कब्जे को ध्यान में रखकर कुदैजात रिपोर्ट बनाई गई है तारफ्लैगिंग करवाकर वादीगण व प्रतिवादीगण कपर्द

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ़ जयपुर

जमवारामगढ़ जयपुर

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ (जयपुर)

संजय कुमार **बनाम** परितोष वर्मा

...या / वर्ष : 111 / 2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	अपने हिस्से के अनुसार पूर्व से काबिज काश्त हो सभी खातेदारो की मौजूदगी में कुर्रेजात रिपोर्ट बनाई है लेकिन वादीगण ने आवश्यक रूप से हस्ताक्षर नही किये हो आपत्तियां आधारहीन है इसलिये आपत्तियां खारिज कर प्रथम कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद में अंतिम डिक्री पारित की जावे। उभय पक्षो की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है वादी ने वाद तकासमा का ख०नं० 60 का पेश किया है वादी ने जिस प्रकार से आपत्ति ख०नं० 60 के साबिक नक्शा की अंतिम तरमीम की आपत्ति की है जो इस वाद में नही सुनी जा सकती। वाद को नक्शा दुरुस्ती करानी चाहिये थी। और ख०नं० 5012 के सम्बन्ध में वाद नही हो और ना ही ख०नं० 59 का वाद है इसलिये उक्त खसरा नम्बरो की आपत्तियां इस वाद में सुनने का कोई न्यायोचित नही है इसलिये वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां खारिज की जाती है।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद में अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हो उभय पक्षों को सुनने व वादी की आपत्तियां खारिज करने के उपरांत प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से पारित की जाती है:- उक्त वाद से सम्बन्धित एक वाद संख्या- 1/2/2021 उनवान परितोष बनाम बाबुलाल धारा 53/188 R.T. Act को दिनांक 27/7/2022 को दोनों [illegible] वादों में खसरा नम्बर, पक्षकार, और रिलीफ समान होने से धारा 10 CPC के तहत समेकित किया गया है। इसलिये दोनों प्रकरणों में एक ही प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से पारित की जाती है:-
	1-	संजय कुमार पुत्र रामनारायण हि० 4671/8287, रीना देवी पत्नि संजय कुमार हि० 3616/8287 जाति ब्राह्मण सा० देह को खातेदार रहित बैंक ऑफ बड़ौदा को खसरा 60 मि. रकबा 0.8287 किस्म बा02 कायम किया जाता है
	2-	परितोष पुत्र ईश्वरचन्द हि० 4144/9795 मोनिका पत्नि परितोष हि० 5651/9795 जाति ब्राह्मण सा० D-2 गणेश मार्ग बापु नगर जयपुर खातेदार को खसरा 60 मी. रकबा 0.9795 कायम किया जाता है
	3-	बाबुलाल पुत्र महादेव हि० 1/5, रामकिशोर

सहायक कलेक्टर (फास्ट) जमवारामगढ़ जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ (जयपुर)

संजय कुमार **बनाम** परितोष वगै

वाद संख्या / वर्ष : 111 / 2024

क्रम	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पुत्र महादेव हिस्सा 1/5, श्रवण पुत्र महादेव 1/5 जाति बैरवा सा० देह राहित इलाहाबाद बैंक शाखा आमेर कला हरफूल पुत्र महादेव 1/5 जाति बैरवा सा० देह खातेदार को रकबा 60 मी. रकबा 0.4555 कायम किया जाता है उपरोक्तानुसार वाद में अन्तिम डिक्री पारित की जाती है निर्णय की एक प्रमाणित प्रति सम्मिलित वाद सं० 11/2024 अजयपाल परितोष बनाम बाबूलाल व अन्य में शामिल की जावे निर्णय व डिक्री की प्रति नियमानुसार तहसीलदार जमवारामगढ़ को भेजी जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल रिकार्ड हो निर्णय आज दिनांक 22/04/2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया। Sd/- सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ़ जयपुर	